छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

छ.ग. हाट परिसर, पण्डरी, रायपुर (छ.ग.), फोन एवं फैक्स : 0771 : 4016500
Website: www.cghandicraft.com , E-mail ID: cghandicrafts@gmail.com

भारतीय शिल्प संस्थान, जयपुर में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की सूचना

हस्तशिल्प बोर्ड में पंजीकृत शिल्पियों के 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चों जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष है, को शिल्प डिजाईन एवं तकनीकी विकास शिक्षा **04 वर्षीय अंडर ग्रेज्युट प्रोग्राम** में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक सत्र वर्ष 2016–17 से भारतीय शिल्प संस्थान, जयपुर के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र बोर्ड के जिला कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.05.2016 है। जिसके चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार तिथि 29.05.2016 को प्रस्तावित है।

सहायक प्रबंधक
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

छ.ग. हाट परिसर, पण्डरी, रायपुर (छ.ग.), फोन एवं फैक्स : 0771 : 4016500

भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में 04 वर्षीय अंडर ग्रेज्युट प्रोग्राम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए शिल्पियों के बच्चों हेतु आवेदन पत्र

01. आवेदक का नाम हिन्दी में : .....

अंग्रेजी में : .....

02. जन्म तारीख : .....

03. उम्र (01 जून 2016 को) : वर्ष.....माह.....दिन.....

04. जन्म स्थान : .....

05. लिंग (महिला/पुरूष) : .....

06. शैक्षणिक योग्यता : .....

07. पिता का नाम : .....

08. माता का नाम : .....

09. व्यवसाय : .....

10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति : विवाहित ..... अविवाहित .....

11. जाति वर्ग – अनु. जाति, अ.जनजातिः .....

अ.पि.व., सामान्य (अजा, अजजा, अपिव, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12. मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा : .....

जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. आवेदक का शिल्पी होने का पंजीयनः .....

प्रमाण पत्र संलग्न करें(प्रमाण पत्र कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) एवं छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, दोनों की छायाप्रति संलग्न किया जावे)

14. कार्यरत शिल्प का नाम : .....

15. शिल्प निर्माण का अनुभव : .....

छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के केन्द्र प्रभारी/अधिकारी द्वारा अथवा कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा जारी किया गया हो।

16. यदि स्वयं आवेदक का शिल्पी पंजीयन प्रमाण पत्र न हो तो पिता/माता के शिल्पी होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

17. स्थायी/पत्र व्यवहार का पताः .....

मोबाईन नं. सहित : .....

18. भाषा का ज्ञान : हिन्दी–हां/नहीं ..... अंग्रेजी–हां/नहीं.....

दिनांक : .....

स्थान : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दी गयी जानकारी सत्य है यदि भविष्य में असत्य पायी जाती है, तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्तानुसार दी गयी जानकारी सत्य है। यदि असत्य जानकारी देने पर किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त करते हुए नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु हंस्तशिल्प विकास बोर्ड सक्षम होगा।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

नियम/शर्ते :

01. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी शिल्पियों के बच्चे ही लाभान्वित होंगे।
02. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चे ही पात्र हो सकेंगे।
03. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु बच्चे के माता–पिता का 5 वर्षों का बोर्ड में पंजीयन या विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली का परिचय पत्र अनिवार्य होगा।
04. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु शिल्पी के बच्चे की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष होगी।
05. प्रवेश के लिए भारतीय शिल्प संस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 29.05.2016 (रविवार) को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा, जिसमें उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
06. उपरोक्त आवेदन छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के केन्द्रों/जिला कार्यालयों में दिनांक 20.05.2016 तक एवं मुख्यालय रायपुर में दिनांक 25.05.2016 तक जमा किया जावेगा।
07. भारतीय शिल्प संस्थान, जयपुर में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा में निर्धारित मापदण्ड अनुसार लिखित, मटेरियल टेस्ट एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जावेगा।
08. शिक्षण सत्र माह जुलाई 2016 से प्रारम्भ होगा।
09. 04 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के पश्चात् शिल्पकार अपना व्यवसाय स्वयं कर सकेगा।
10. शिल्पियों के बच्चों को शिल्प डिजाईन शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् बोर्ड सेवा में रखने हेतु बाध्यता नहीं होगी।
11. शिल्प शिक्षा डिजाईन डिप्लोमा कोर्स का मुख्य उद्देश्य शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपना व्यवसाय स्वयं कर सकें।

12. शिल्प डिजाईन शिक्षा में चयनित शिल्पियों के बच्चों को योजना में प्रावधानित अनुसार सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

13. शिल्प डिजाईन शिक्षा कोर्स पूर्ण होने के पश्चात् शिल्पकार छ.ग. हस्तशिल्प के विकास/विस्तार हेतु अपना सहयोग प्रदान करने हेतु अनुबंध करना होगा।

14. चयनित छात्र शिक्षण अवधि के बीच में यदि संस्थान छोड़ता है तो शासन द्वारा उस पर किया गया व्यय पूर्ण रूप से वसूल किया जावेगा।

15. शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा आयु से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

मुख्य महाप्रबंधक
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)